

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1.	परियोजना/स्कीम का नाम	765 के.वी. एकल पथ मैनपुरी- बारा (CKT-1) ट्रांसमिशन लाईन।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र-	उ. प्र.
(ii)	जिला-	मैनपुरी
(iii)	वन प्रभाग-	सामाजिक वानिकी प्रभाग , मैनपुरी
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०) में-	1.415 हे.
(v)	वन की कानूनी स्थिति-	संरक्षित वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व-	0.1 से कम
(vii)	परजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई / जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० और एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न की जाय-	संलग्न है।
(viii)	भूरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी-	संरक्षित वन क्षेत्र में कोई भूक्षरण नहीं होगा।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की वन सीमा-	संरक्षित वनसीमा के अंतर्गत।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव, अभ्यारण्य, जैव मण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हों तो क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव, वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें)-	नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और दुर्लभ/संकटापन्न/विषिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं, यदि हों तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें-	नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न है।

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पूरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें—	नहीं।
8.	प्रायोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जॉचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है—	प्रमाण पत्र संलग्न है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही वन व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी अभी चल रहे हैं।	नहीं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम वन व्यौरा—	-
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार—	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप—	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची, लागत ढाँचा आदि—	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय—	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)—	प्रमाण पत्र संलग्न है।

11.	जिला वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट विषय: उपर्युक्त कालम 7, 8, 9 (xi, xii) से पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न) करें-	संलग्न है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल-	सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी
i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र-	275900 वर्ग कि.मी.
ii)	जिले का वन क्षेत्र-	1419.54 हे.
iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र-	1. मामले - 26 2. प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र- 69.91 हे.
iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन- (ख) वनेत्तर भूमि पर-	- 20.30 हे. -
V)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर- (ख). वनेत्तर भूमि पर -	14.20 हे. 6.10 हे. (ग्राम समाज)
13.	प्रस्ताव की स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक विशेष सिफारिश-	जनहित को देखते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि 12/02/2016

स्थान मैनपुरी

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

नाम

पदनाम